// आदेश //

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/202309(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेश लाल/ रमेश कम्बोज बनाम उतराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया जाना है।

अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद पौड़ी में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु निम्नानुसार जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया जाना है:–

1.	जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल	–	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी	–	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी(संबन्धित क्षेत्र)	–	सदस्य
4.	जिला खान अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
5.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विभाग, हे0न0ब0ग0विश्व विद्यालय, (केन्द्रीय वि0वि0) श्रीनगर गढवाल।	–	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय खनन निरोधक दल का निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3.	सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4.	खान निरीक्षक, जनपद पौड़ी	–	सदस्य
5.	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6.	सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त गठित जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवम् रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

// कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल //

संख्याः–320/30–खनन/2022–23 दिनांक पौड़ी 27 मार्च 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, औद्योगिक विकास(खनन)अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी।
3. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद पौड़ी गढवाल।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद पौड़ी गढवाल।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी/कोटद्वार।
7. जिला खान अधिकारी, पौड़ी।
8. उपरोक्त गठित अवैध खनन निरोधक दल के नामित समस्त सदस्यगण।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

%c